

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर  
पीठासीन अधिकारी- संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण सं० 2025/126

सिविल प्रकरण संख्या:- 18/2025

तारीख रजू 19.05.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।  
.....आवेदक

**बनाम**

1. मदन मोहन गुर्जर पुत्र श्री राधेश्याम गुर्जर (मौके पर विक्रेता) निवासी साकेत नगर सवाई माधोपुर  
मैसर्स- दाधीच मिष्ठान भण्डार, रणथम्भौर किला, सवाई माधोपुर
2. सुरेश कुमार शर्मा पुत्र नन्द लाल शर्मा (फर्म मालिक) निवासी चमत्कार मंदिर के सामने आलनपुर  
सवाई माधोपुर मैसर्स- दाधीच मिष्ठान भण्डार, रणथम्भौर किला, सवाई माधोपुर


.....अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 & 58 एफएसएस एक्ट 2006 एवं  
नियम 2011

**निर्णय:-**

**दिनांक 18.11.2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिये युद्ध अन्तर्गत दिनांक 24.09.2024 को 01.00 पी.एम. पर मैसर्स:- दाधीच मिष्ठान भण्डार, रणथम्भौर किला सवाई माधोपुर पर पहुंचा। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से स्वयं का आधार कार्ड, खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र मांगा जिस पर उन्होंने फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं के आधार कार्ड एवं फर्म मालिक सुरेश गौतम के आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की। आवेदक द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु घी (लोटस ब्राण्ड) में विक्रय हेतु रखे हुए थे घी (लोटस ब्राण्ड) में मिलावट का अंदेशा होने पर घी (लोटस ब्राण्ड) 01 किलोग्राम वजनी खरीदकर उसकी कीमत 500/- रुपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान संजू गौतम के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता मदन मोहन गुर्जर ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं० 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 01 किलोग्राम घी (लोटस ब्राण्ड) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा घी (लोटस ब्राण्ड) को प्रत्येक बोतल में

  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट  
सवाई माधोपुर



बराबर-बराबर मात्रा में डालकर बोटलो को ढक्कन लगाकर एयर टाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोटल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं H-3422 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर रिलप क्रमांक H-3422 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जापते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील किया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी।


आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1124 दिनांक 11.11.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3813/एक्ट/2024/3699 दिनांक 04.10.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ घी (लोटस ब्राण्ड) Sub-Standard & Contravenes** प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा **Sub-Standard & Contravenes** खाद्य पदार्थ घी (लोटस ब्राण्ड) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने **Sub-Standard & Contravenes** खाद्य पदार्थ घी (लोटस ब्राण्ड) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की फर्म से **खाद्य पदार्थ घी (लोटस ब्राण्ड)** का सम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। प्रार्थी के विरुद्ध परिवाद

  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट  
सवाई माधोपुर

गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। प्रार्थी ब्राण्डेड कम्पनी का लोटस घी खरीदता है। इसलिए प्रार्थी का कोई दोष नहीं है। प्रार्थी के विरुद्ध घी का सेम्पल गलत भरा गया है। इसमें प्रार्थी की कोई गलती नहीं है। प्रार्थी के विरुद्ध गलत कार्यवाही की है। अंत में अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण ड्रॉप फरमाया जाकर खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3813/एक्ट/2024/3699 दिनांक 04.10.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (लोटस ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड एवं कन्ट्रावेन्स प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा घी का सेम्पल गलत भरने का कथन किया है किन्तु अभियुक्तगण द्वारा आवेदक के सेम्पल लेते समय अथवा आवेदक के द्वारा अभियुक्त को अग्रिम माल खरीद बिल की सूचना भिजवाने हेतु लिखे गये पत्रांक 201 दिनांक 14.02.25 के उपरान्त भी अग्रिम माल खरीद बिल प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक द्वारा कम्पनी को पार्टी नहीं बनाया गया है। उक्त सेम्पल की लेब रिपोर्ट में नमूना घी (लोटस ब्राण्ड) में विदेशी वसा (Foreign Fat) (जिसमें वनस्पति तेल, साथ ही पशु वसा उपस्थित हो सकती है) के उपस्थित रहने के कारण सेम्पल सबस्टेण्डर्ड आया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है, चूँकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ घी (लूज) का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 40,000/-रु0 (अक्षरे चालीस हजार रुपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर